

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक-21.08.2015 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही:-

उपरिस्थिति :-

1. विकास आयुक्त
2. प्रधान सचिव, कृषि विभाग,
3. सचिव, आपदा प्रबंधन एवं उर्जा विभाग
4. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
5. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
6. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
7. सचिव, जल संसाधन विभाग
8. निदेशक, भारत मौसम विभाग

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2015 से राज्य में अल्प वर्षापात/सुखाड़ की संभावना को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत है :-

1. भारत मौसम विज्ञान विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान में राज्य में वर्षापात की स्थिति अच्छी है तथा वर्षापात सामान्य से 17 प्रतिशत कम है। मात्र पूर्णियाँ एवं सीतामढ़ी जिले में वर्षापात का विचलन -50% से अधिक है। इस सप्ताह में मॉनसून सामान्य रहने की संभावना है। उत्तरी बिहार में सामान्य से अधिक तथा दक्षिणी बिहार में सामान्य से कम वर्षापात होने की संभावना है। अगले सप्ताह भी राज्य में वर्षापात सामान्य होने की संभावना है।

2. कृषि विभाग

प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि अबतक धान की बिचड़े का आच्छादन लक्ष्य के विरुद्ध 95.33 प्रतिशत, धान का आच्छादन 90.38 प्रतिशत एवं मक्का का आच्छादन 89.49 प्रतिशत हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि मानसून की कमजोर स्थिति के मद्देनजर धान के उत्पादन के साथ-साथ बड़े क्षेत्रफल में मक्का के उत्पादन पर भी बल दिया जा रहा है। खरीफ 2015 में सामान्य से कम वर्षापात के पूर्वानुमान के आलोक में राज्य में 350000 हेक्टेयर क्षेत्र में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के आच्छादन का कार्यक्रम है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया की डीजल राबिडी के वितरण की कार्रवाई में तेजी लाया जाए तथा जिन क्षेत्रों में वर्षापात की स्थिति अच्छी नहीं है तथा आच्छादन की स्थिति अच्छी नहीं है उन क्षेत्रों में सतत निगरानी रखी जाए। चारे के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रखंडवार आच्छादन प्रतिवेदन एवं वर्षापात का प्रतिवेदन अपने विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों से प्राप्त कर सतत निगरानी रखा जाए।

3. लघु जल संसाधन विभाग

लघु जल संसाधन विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार सिंचाई हेतु 10242 राजकीय नलकूपों के विरुद्ध मात्र 3003 नलकूप ही कार्यरत हैं। जिससे वर्तमान में 5115.80 हेक्टेयर में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया गया है। विद्युत दोष के कारण 680 नलकूप बंद हैं, बंद पड़े नलकूपों को चालू करवाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। नाबार्ड फेज--08 एवं नाबार्ड फेज -11 के ऊर्जांचित नलकूपों को चालू कराने हेतु सभी प्रमंडलों से जांचित प्राक्कलन प्राप्त हो गया है, जिसके आलोक में 8539.29 लाख रुपये का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि नलकूपों की मरम्मत एवं Channels को मरम्मत अविलम्ब पूरी की जाय और साथ ही शीघ्र नलकूपों को चलाने हेतु कर्मियों की व्यवस्था की जाए एवं नलकूपों से सिंचित होने वाले क्षेत्रफल तथा यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों के स्थिति का प्रतिवेदन की मांग की गयी।

4. ऊर्जा विभाग

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि अल्पवर्षापात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति जारी रखी जाए तथा ट्रांसफॉर्मर की खराबी से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र उर्जांचित करने की कार्रवाई की जाए।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार कुल 94699 चापाकल गाड़ने के लक्ष्य के विरुद्ध 13057 चापाकल गाड़ा जा चुका है तथा कुल 94695 चापाकल मरम्मत लक्ष्य के विरुद्ध 54338 चापाकल की मरम्मत की जा चुकी है। विभाग द्वारा हर जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के 5 चापाकलों के भू-जलस्तर की मोनेटरिंग की जा रही है। राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में माह अगस्त 2013 की तुलना में किसी भी जिला में औसतन भू-जल स्तर में गिरावट की सूचना नहीं है। माह अगस्त 2014 की तुलना में राज्य के दक्षिणी भाग के भी किसी भी जिले में औसत भू-जलस्तर की गिरावट नहीं पायी गई है। राज्य के उत्तरी भाग के अगस्त 2014 की तुलना में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एवं किशनगंज जिले में जलस्तर में 0 से 1 फीट के बीच गिरावट की सूचना है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि विद्युतदोष के कारण खराब नलकूपों को सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाए। यह भी ध्यान दिया जाय कि गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति किया जाय और जहां बोरिंग पुराना हो गया है उसे मरम्मत करने की अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

6. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पशु शिविरों के स्थापना हेतु 1640 स्थलों का चयन कर लिया गया है एवं पशुचारे की कोई कमी नहीं है। 10 प्रकार पशु दवाओं का क्रय किया जा चुका है एवं टीकाकरण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि पशु शिविरों हेतु चयनित स्थलों के पास पशुओं के पेयजल हेतु जल के स्रोत उपलब्ध हैं अथवा नहीं इसकी जाँच करा ली जाए।

7. जल संसाधन विभाग

सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कोशी नदी में कुल 200100 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है। पूर्वी कोशी एवं पश्चिम कोशी नहर प्रणालियों में क्रमशः 10000 तथा 3000 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। गंडक नदी में वर्तमान में कुल 165400 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है, जिसमें से तिरहुत नहर प्रणाली में 8000 घनसेक, दोन नहर प्रणाली में 2100 घनसेक एवं त्रिवेणी नहर प्रणाली में 2000 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 9000 घनसेक जलापूर्ति की जा रही है जिसमें से सारण मुख्य नहर प्रणाली में 3000 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज में 30485 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्व नहर प्रणाली में 4650 घनसेक तथा पश्चिमी नहर प्रणाली में 7500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि जलाशयों में जल भंडारण की पूर्व की स्थिति से सुधार है।

प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति निम्नवत है:-

क्र०	जलाशय का नाम	कुल संचयन क्षमता	दिनांक-07.08.2015 की स्थिति (फीट में)	दिनांक-21.08.2015 की स्थिति (फीट में)
1	चन्दन	110000	500.40	501.50
2	बदुआ	89000	411.10	418.10
3	ओढ़नी	33550	400.80	404.70
4	ऑजन	20030	370.50	378.00
5	बेलहरना	11805	439.90	441.80
6	खडगपुर झील	13200	204.50	214.50
7	विलासी	23400	289.50	290.20
8	मोरवे	10800	248.20	257.10
9	नागी	7700	429.50	433.50
10	गरही जलाशय	68500	546.40	543.70
11	कोहिरा	22210	328.90	329.60
12	बटाने	48600	738.00	739.50
13	फुलवरिया	41563	578.00	577.80
14	नकटी जलाशय	11320	439.80	443.10

खरीफ सिंचाई 2015 के दौरान नहरों से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति

क्र०	नहर प्रणाली का नाम	सिंचाई लक्ष्य (हे० में)	सिंचाई उपलब्धि (हे० में) दिनांक-07.08.15 तक	सिंचाई उपलब्धि (हे० में) दिनांक-21.08.15 तक
(क)	सोन नहर प्रणाली :-			
1.	पूर्वी सोन नहर प्रणाली	148450	83420	141073
2.	पश्चिमी सोन नहर प्रणाली	399922	255820	360203
(ख)	कोशी नहर प्रणाली :-			
1.	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	377565	223830	265471
2.	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	41384	12400	12400
(ग)	गंडक नहर प्रणाली :-			
1.	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	331684	206190	264199
2.	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	165846	112947	140948
(घ)	अन्य योजनाएं :-	453490	77820	228452
	कुल	1918341	972427	1412746

सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तथा बाढ़ से बांधों को बचाने हेतु सतत निगरानी रखी जा रही है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बाढ़ से निपटने हेतु सभी निरोधात्मक तैयारी कर ली जाए तथा नहरों की सभी वितरणी को ठीक करा लें और बांधों की मरम्मत भी सुनिश्चित कर लें। सभी गेट सही है कि नहीं यह भी देख लें तथा नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

8. ग्रामीण विकास विभाग

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि मनरेगा अंतर्गत 88 लाख मैनडेज सृजित हो गया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कितने पेड़ लगे हैं, इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा अन्न क्षेत्रों में वर्षापात कम है उन क्षेत्रों की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाए तथा मैनडेज बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

9. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बताया गया कि खाद्यान्न का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। मुख्य सचिव द्वारा शताब्दि अन्न कलश योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 2 - 2 क्वींटल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में चिन्हित जनप्रणाली विक्रेता के पास रखवाने का निदेश दिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा वर्तमान में सीतामढ़ी, पूर्णियाँ एवं शिवहर जिले में कम वर्षापात की स्थिति के आलोक में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। उनके द्वारा बाढ़ से बचाव हेतु पूर्व में विभिन्न जिलों में निर्मित आश्रय स्थलों की भौतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक 28.08.2015 को 5.30 बजे अपराह्न आहूत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/-
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक 1प्र0आ0--07 / 2014...../ आ0प्र0

पटना-15, दिनांक--

प्रतिलिपि: कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ उर्जा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ निर्देशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/ निर्देशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(अनिरुद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 1प्र0आ0--07 / 2014...../ आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-- 26/8/15

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

26/8/15
विशेष सचिव